संख्या : 2561 / आठ-1-05-62 जीडीए / 05

प्रेषक

जे. एस. मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2005

विषय : विषय प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 में आवश्यक परिष्कार /संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या : 481 / नियो. अनु / 2005, दिनांक 26.04.05 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें शासनादेश संख्या : 886 / आठ-1-05-29 विविध / 98 (आ.ब.), दिनांक 09.02.05 द्वारा परिभाषित एकल आवासीय भवन' के सम्बन्ध में निर्धारित व्यवस्था को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21.03.05 में अनुमोदित प्रस्ताव को शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित
किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या : 886 / आठ-1-05-29 विविध/98 (आ.ब.), दिनांक 09.02.05 में उल्लिखित संशोधनों को गाजियाबाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 में अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 21.03.05 में लिये गये निर्णयानुसार ''एकल आवासीय भवन'' के स्थान पर ''भूखण्डीय विकास'' (प्लाटेड डेवलपमेंट) शब्दावली प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था को शासन द्वारा अनुमोदित किया जाता है :-

2.1 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-1 के प्रस्तर : 1.2.14(1) में 'आवासीय भवन' की परिभाषा दी गई है एवं उसके अन्तर्गत यह भी उल्लेख है कि 'एकल आवासीय भवन' का तात्पर्य आवासीय उपयोग हेतु एक भूखण्ड पर एक आवासीय भवन से है। जबकि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 के अध्याय-3, भाग-5 के प्रस्तर : 1 में 'एक आवासीय भवन' के स्थान पर 'आवासीय (प्लाटेड)' का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या : 553 / 9-आ-1-29 विविध / 98, दिनांक 25.01.03 तथा कतिपय अन्य शासनादेशों में भी 'एकल आवास' का उल्लेख है। इस प्रकार भवन उपविधि तथा सुसंगत शासनादेशों में 'आवासीय भवन' हेतु अलग-अलग शब्दावली (यथा आवासीय प्लाटेड, एकल आवासीय भवन, एकल आवास) का प्रयोग किया गया है, जो कि विधिक रूप से समरूप होनी चाहिए।

4- कृपया उपर्युक्त संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी जनता को देने हेतु एक संस्था स्थानीय समाचार पत्रों में जारी करा दी जाय तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित भवन उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय
(जे. एस. मिश्र)
सचिव